अत्यावश्यक/आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(क)(या)( )डीएलबी/18/4421 to 4427 जयपुर,दिनांकः 9.5.2018 10.5.18

उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।

विषयः रिट पिटीशन सं0 12790/2010 प्लास्टिक मैन्यूफेक्चर्स ऐसोसिएशन बनाम राज्य सरकार व अन्य।

संदर्भः इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3658-3896 दिनांक 4.5.18 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 3897-4133 दिनांक 4.5.18 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र से संबंधित सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिक अधिकारियों द्वारा एन्वायरमेन्ट (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 5 के तहत दिनांक 21.7.2010 को जारी नोटिफिकेशन की अनुपालना में की गई कार्यवाही के संबंध में सभी आयुक्त/अधिशाषी अधिकारियों का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र श्री एस.के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्धारित तिथि से पूर्व पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(क)(या)( )डीएलबी/18/4428 to 4664 दिनांकः 9.5.2018 10.5.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
2. श्री एस.के.गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर
3. सचिव, पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
4. जिला कलक्टर्स समस्त राजस्थान।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर
6. श्री टी.एस.रानावत, वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, जयपुर
7. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाएं राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अविलम्ब संबंधित उप निदेशक क्षेत्रीय से सम्पर्क कर शपथ-पत्र प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

—:शपथ—पत्र:—

मैं.. पुत्र श्री ....उम्र .... वर्ष, हाल पदस्थापित................................ नगर निगम/परिषद/पालिका .... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि :—

1. यह कि एन्वायरमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट की धारा 5 के तहत दिनांक 21.07.2010 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसमें स्ट्रीट वैण्डर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर, हॉकर एवं रेहडी वाले इत्यादि द्वारा पॉलीथिन/प्लास्टिक कैरी बैग का दिनांक 1.8.2010 के पश्चात् राजस्थान राज्य में उत्पादन/भण्डारण/आयात/बिक्री और परिवहन नहीं करने तथा नोटिफिकेशन की पालना नहीं करने पर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के प्रावधान है।
2. यह है कि उक्त नोटिफिकेशन के उपरान्त नगर निगम/परिषद/पालिका................. .... द्वारा नोटिफिकेशन के प्रावधानों की पालना नियमित रूप से की जा रही है।
3. यह है कि उक्त नोटिफिकेशन की पालना में अभी तक पॉलीथिन/प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन/भण्डारण/आयात/बिक्री और परिवहन के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध नगर निगम/परिषद/पालिका .... द्वारा कार्यवाही की गई है एवं .... किलो पॉलीथिन व प्लास्टिक जब्त किया गया है एवं शास्ति के रूप में रूपये.. व दोषियों के विरूद्ध कुल एफ.आई.आर. .... दर्ज करायी गई है।

स्थान:

दिनांक:

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में पैरा 1 से 3 में वर्णित कथन मेरी जानकारी अनुसार सही व सत्य है।

स्थान:

दिनांक:

शपथकर्ता